

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]
No. 86]

दिल्ली, बुधवार, जून 2, 2010/ज्येष्ठ 12, 1932
DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 2010/JYAISTHA 12, 1932

[रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 55
[N.C.T.D. No. 55

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 जून, 2010

सं. फा. 6/सचिव/एसटीए/परि./2010/439,—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 89 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल अधीन सं. 802/2007—“राम कंवर बनाम सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) उत्तर पश्चिम जिला, दिल्ली”—का अधिनिर्णय करने के लिए श्री ओ. पी. गुप्ता, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के एक अधिकारी, प्रभारी, ध्यान केन्द्र, तीस हजारी, दिल्ली को राज्य परिवहन अधीन न्यायाधिकरण की शक्तियाँ तत्काल सौंपते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. वर्मा, सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 2nd June, 2010

No. F. 6/Secy./STA/Tpt./2010/439.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 89 read with Clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to confer the powers of State Transport Appellate Tribunal upon Shri O. P. Gupta, an officer of Delhi Higher Judicial Services, Incharge, Meditation Centre, Tis Hazari Courts, Delhi, for adjudicating the Appeal No. 802/2007—“Ram Kanwar versus The Assistant Commissioner of Police (Traffic), North-West District Delhi”, with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
R. K. VERMA, Secy.-cum-Commissioner